

परियोजना का नाम

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

#### 

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) परियोजना के निर्माण हेतु) (0.252 हे0 आरक्षित वन भूमि), (सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0), (वन पंचायत भूमि शून्य हे0), (नाप भूमि 0.135 है0) अर्थात कुल 0.387 हे0 वन भूमि) का पी0एम0जी0एस0वाई0—सिंचाइ खण्ड कोटद्वार विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत <u>जिंदी</u> ह्वारा दिनांक <u>कि 3 2 2 क</u>ो सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जिंदान बहु। के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई०—सिंचाइ खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचामम सिचिक अधिकारी ग्राम पं<del>चामम सिचिक अधिकारी</del> ग्राम पं<del>चाहरू सिटिती वर्गहा--</del> विकास खण्ड-द्वारीखाल पोड़ी गढ़वाल

ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित



#### प्रपत्र 30.5

# दिनांक ... 🖫 🗘 ं को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

## 

-		
कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2A 200 -121201 RE	suamh'
2	-201 311017 RiE	Alyn Sale
3	76) H14974 16'E.	Jew /
4	की नरे-५ किंह ने जी।	Hon
5	Al gorgia RiE	andy
6	978 EVAN 18E	Deawart
7	1 - 4156/DE	EMIT A
8	स्ती साहन लाल	el 101 old My
	그 그 집에 보는 수 있는 것이 많아 보라 하는 것이 없는데 그렇게 되었다.	श्तीहम लाल
10	el Helle	Evolutar).
11 .	-911 011111	स्तामह
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		



परियोजना का नाम

0

D

D

9

3

3)

2

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, —————

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव				
नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री				
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षना में आगोजित की गरी। बैटक में				
माननाय सदस्यों की उपिश्वांत निम्नान्याव है।				
1- श्री <u>किल्ला किला</u> उपजिलाधिकारी अध्यक्ष उपजिलाधिकारी				
3- श्री सिर्ध राष्ट्र सहायक समाज कल्याण अधिकारी (द्वा राष्ट्र सिन्स सम्बद्ध समाज कल्याण अधिकारी एक समाज कल्याण अधिकारी एक समाज कल्याण अधिकारी सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध समाज कल्याण अधिकारी एक समाज कल्याण अधिकारी एक समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण कल्याण अधिकारी समाज कल्याण कल्याण कल्याण अधिकारी समाज कल्याण कल्या				
4- श्री भारत भारता क्षेत्र विव्यव द्वारियाल				

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वापति क्रिक्स एक जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवग्री मानसिय स्वर्थों के प्रत्यां के प्रत्यां के प्रत्यां के प्रत्यां के प्रत्यां के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडॉन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) परियोजना के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0—सिंचाइ खण्ड कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— सतपुली जनपद— पौड़ीगढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— सतपुली जनपद— पौड़ीगढ़वाल



It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of Dwarikhal to Barsuri Motor Road (K.M 0.00 to KM 0.500) regarding FRA is as following:

Ser. No.		Remark
(a)	identification and settlement of rights	
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre- agricultural Communities.	are no habitants belonging to scheduled

जिला पंचार्यत मूचित्रस्य पौडी सुद्धारित सदस्य \ 09 कुल्हः ...ः गढ्वाल

जिला संग्राकाकल्याया) अधिकारी जिला संगुष्ठी कल्डवालअधिकारी पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षणीय वनाधिकारी भूमि संरक्षणीय वनपूर्भारामा लेन्सुड्रीस् (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० कोटद्वार पौडी (गढ़वाल) (डॉ**० विजय कुमार जोगदंडे)** जिलाधिकारी गढवाल

## **FORM-1** (for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

Pauri Garhual

No -642/08-LAC- 2012

Dated 17.08.2011

#### **TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.252 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PIU, PMGSY-ID KOTDWARA for construction of Dwarikhal to Barsuri Motor Road (K.M 0.00 to KM 0.500) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Barsuri village in Satpuli tehsils.

#### It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.252 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Eucl:- As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

#### FORM-II

### (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Gold

No 643/08-LAC-1021

Dated 17.08.1011

#### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.252 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PMGSY-ID KOTDWARA for construction of Dwarikhal to Barsuri Motor Road (K.M 0.00 to KM 0.500) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Barsuri village in Satpuli tehsils.

#### It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.252 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)



# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ----- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; PAORI

Dated: 9/4/2/

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee



परियोजना का नाम

- जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

#### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित द्वारीखाल से बरसूडी मोटर मार्ग (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) परियोजना के निर्माण हेतु 0.252 है0 वनभूमि आरक्षित प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सतपुली तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओ द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी सुढवाल